



133

PBR/निगरानी/इंदौर/भू-र/2017/1907

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष

1. श्रीमती जानकीबाई पति देवनारायण चौहान
2. दीपककुमार पिता देवनारायण चौहान
3. जितेन्द्र पिता देवनारायण चौहान
4. गणेश पिता देवनारायण चौहान
5. सत्यनारायण पिता देवनारायण चौहान

निवासी— ग्राम बांक तह. व जिला इन्दौर

—प्रार्थी/निगरानीकर्ता

श्रीमान राजस्व मण्डल (20-6-17) -

विरोध

अब्दुल गफ्फार

20-6-17

अब्दुल गफ्फार पिता अब्दुल खालिक

निवासी— ग्राम बांक तह. व जिला इन्दौर

—प्रत्यर्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी अधिनस्थ तहसीलदार महोदय, राऊ के सीमांकन प्रकरण क्रमांक 146/अ-12/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 12/03/2014 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है:-

PBR/क्रि/ईका/अ/2017/1907

21-2-18

आवेदक अधिवक्ता श्री सचिन भावसार आपसित  
उन्के द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलाये जाने  
के कारण नॉट प्रेस में समाप्त किये जाने का  
निवेदन किया गया। निवेदन स्वीकार। प्रकरण  
आवेदक द्वारा आगे नहीं चलाये जाने के कारण  
नॉट प्रेस में समाप्त किया जाता है।

निगरानी पर ध्यान  
नहीं देना चाहिए  
पुंज

अध्यक्ष

[क. 3]